

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0—03—09/2021

पटना, दिनांक:—

श्री आबिद सुबहानी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), शाहाबाद अंचल, आरा को वित्त विभाग के पत्रांक-2498वि0 (2), दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889/वि0 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में उनके **द्वितीय संतान** के लिए दिनांक-08.05.2025 से 22.05.2025 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0—03—09/2021 **1901**

पटना, दिनांक:— **02/05/25**

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार, आरा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), शाहाबाद अंचल, आरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/लेखा शाखा एवं श्री आबिद सुबहानी, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), शाहाबाद अंचल, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
30/4/25

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।